



TRAI COMPLIANCE

FRAMEWORK FOR TECHNICAL COMPLIANCE OF CAS & SMS

On 22nd April 2020, the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) issued a consultation paper on "Framework for Technical Compliance of Conditional Access System (CAS) and Subscriber Management Systems (SMS) for Broadcasting & Cable services" seeking comments of all stakeholders. Full text of the consultation paper is available on TRAI's website at www.traigov.in.

Pursuant to TRAI's recommendations dated 5th August 2010 on Digital Addressable Systems (DAS), the Government amended the Cable TV Regulation Act, 1995. The amendment laid down the roadmap for implementation of digitalization in cable television sector in four phases starting from June 2012. Digitalization in the cable sector was implemented in four phases and it has been completed all over the country by 31st March 2017. Digital Addressable Systems (DAS) brings in transparency among the service providers and meets the ultimate objective of allowing a consumer specific choice of television channels. CAS & SMS form the core systems to deliver the broadcasting services to consumers as per



सीएस और एसएमएस के तकनीकी अनुपालन के लिए फ्रेमवर्क

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सभी हितधारकों से टिप्पणियां पाने के लिए प्रसारण व केबल सेवाओं के लिए कंडिशनल एक्सेस सिस्टम (सीएस) और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) के तकनीकी अनुपालन के लिए 'फ्रेमवर्क' पर परामर्श पत्र 22 अप्रैल 2020 को जारी किया। परामर्श पत्र की पूरी जानकारी ट्राई के वेबसाइट www.traigov.in पर उपलब्ध है।

ट्राई की सिफारिशों के अनुसार 5 अगस्त 2010 को डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (डीएस) पर सरकार ने केबल टीवी विनियमन 1995 में संशोधन किया। जून 2012 से शुरू होने वाले चार चरणों में केबल टेलीविजन क्षेत्र में डिजिटाइजेशन के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप में संशोधन

किया गया था। केबल क्षेत्र में डिजिटाइजेशन को चार चरणों में लागू किया गया था और इसे 31 मार्च 2017 तक पूरे देश में पूरा कर लिया गया। डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (डीएस) सेवा प्रदाताओं के बीच पारदर्शिता लाता है और टेलीविजन चैनलों के उपभोक्ता विशिष्ट विकल्प की अनुमति देने के अंतिम उद्देश्य को पूरा करता है। सीएस व एसएमएस, सामग्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एन्क्रिप्शन को सक्षम करके, अपने व्यक्तिगत विकल्पों के अनुसार उपभोक्ताओं को प्रसारण सेवायें देने के लिए कोर सिस्टम बनाते हैं।

The 29th



BOOKINGS OPEN

SCAT2020

SAT & CABLE TV INDIA - MUMBAI

29 - 31 October 2020

BOMBAY EXHIBITION CENTRE GOREGAON (E) - MUMBAI - INDIA

Organised By:

NÜRNBERG MESSE

Tel.: +91-22-62165303 Mob.: +91-7021850198 / 9945826427
Email: varun.gaba@nm-india.com / scat.sales@nm-india.com

their individual choices, by enabling encryption to ensure content security.

The extant regulatory framework for Broadcasting and Cable Services envisions that CAS & SMS comply with the features as enumerated in Schedule III of 'The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017'. Schedule-III, inter-alia, specifies the benchmark features / technical criteria for the CAS & SMS systems. However, these requirements are quite generic in nature. These requirements allow different type of CAS and SMS systems to exist in the eco-system. While some of the CAS deployed are using advance embedded security, others are based on non-standard solutions making it vulnerable to hacking, thereby putting content security at risk. Moreover, most of the CAS companies do not have their own SMS, Middleware (MW) and User Interface (UI). This increases the dependency of the Distribution Platform Owners (DPOs) on the Third party (TP) software solutions. Many of the DPOs lack in-house technical expertise. Therefore, they face problems due to sub-standard solutions.

The Authority receives complaints from various broadcasters on regular basis regarding the piracy and distribution of pirated signals. As per analysis much of such piracy occurs due to deployment of CAS / SMS that do not fully comply with security protocols as per extant standards. Stakeholders raised this issue as one of the major concerns during the annual Chief Executive Officers' interaction with the Authority held on January 14, 2020.

The Authority has examined the issues arising out of deployment of various CAS and SMS across the country. All these concerns reflect a need for compliance with minimum technical specifications before a CAS / SMS systems is installed in the network. With this background, TRAI brings out this consultation paper on suo-motu basis. The paper endeavors to deliberate upon the issues arising out of deployment of sub-standard CAS and SMS systems, underlying ill-effects and possible remedial measures.

Stakeholders are requested to provide written comments on the consultation paper by 20th May, 2020. Counter-comments may be submitted up to 3rd June, 2020. Comments will be posted on TRAI's website.

The comments/counter-comments may be sent, preferably in electronic form, to Shri Anil Kumar Bhardwaj, Advisor (B&CS) TRAI, on the e-mail: advbcs-2@traigov.in or jadvisior-bcs@traigov.in. For any clarification/information, at Tel. No.: +91-11-23237922, Fax: +91-11-23220442 or at email-id above. ■

ब्रॉडकास्टिंग और केबल सर्विसेज के लिए प्रचलित विनियामक ढांचा है जो कि सीएएस व एसएमएस, 'टेलीकम्युनिकेशन्स (प्रसारण व केबल) सर्विस इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) रेग्यूलेशन, 2017' की अनुसूची III में वर्णित सुविधाओं का अनुपालन करता है। अनुसूची III, परस्पर, सीएएस व एसएमएस सिस्टम के लिए बेंचमार्क सुविधाओं/तकनीकी मानदंडों को निर्दिष्ट करता है। हालांकि, इन आवश्यकताओं की प्रकृति काफी सामान्य हैं। ये आवश्यकतायें विभिन्न प्रकार के सीएएस व एसएमएस सिस्टम को इको-सिस्टम में मौजूद होने की अनुमति देती हैं। हालांकि लगाये गये सीएएस में से कुछ एडवांस एम्बेडेड सुरक्षा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अन्य गैर-मानक समाधान पर आधारित हैं, जो इसे हैकिंग के लिए असुरक्षित बनाते हैं, जिससे सामग्री सुरक्षा खतरे में पड़ती है। इसके अलावा, अधिकांश सीएएस कंपनियों के पास अपना एसएमएस, मीडिलवेयर (एमडब्ल्यू) व यूजर इंटरफेस (यूआई) होता है। इससे थर्ड पार्टी (टीपी) सॉफ्टवेयर समाधान पर वितरण प्लेटफॉर्म ओनर (डीपीओ) की निर्भरता बढ़ती है। कई डीपीओ में इन-हाउस तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव है। इसलिए, वे घटिया समाधानों के कारण समस्याओं का सामना करते हैं।

पायरेटेड सिगनलों के वितरण व पायरेसी के संबंध में प्राधिकरण को नियमित रूप से विभिन्न प्रसारकों से शिकायतें मिलती हैं। विश्लेषण के अनुसार इस तरह की पायरेसी का बहुत हद तक कारण ऐसे सीएएस/एसएमएस को लगाना है जो कि सुरक्षा मानकों का पूरी तरह अनुपालन नहीं करते हैं। 14 जनवरी 2020 को प्राधिकरण द्वारा आयोजित एक वार्षिक मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बातचीत के दौरान हितधारकों ने इस मुद्दे को प्रमुख चिंताओं में से एक के रूप में उठाया।

प्राधिकरण ने देश भर में विभिन्न सीएएस व एसएमएस की तैनाती से उत्पन्न मुद्दों की जांच की है। ये सभी चिंतायें नेटवर्क में सीएएस/एसएमएस सिस्टम स्थापित होने से पहले न्यूनतम तकनीकी विशिष्टताओं के अनुपालन की आवश्यकताओं को दर्शाती हैं। इस पृष्ठभूमि के साथ, ट्राई ने इस परामर्श पत्र को स्वप्रेरणा आधार पर निकाला है। यह पत्र घटिया सीएएस व एसएमएस सिस्टम की तैनाती से उत्पन्न मुद्दों, अंतर्निहित बुरे प्रभाव व संभव उपचारात्मक उपाय पर विचार-विमर्श का प्रयास करता है।

हितधारकों से 20 मई 2020 तक परामर्श पत्र पर लिखित टिप्पणियां प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। जवाबी-टिप्पणियां 3 जून 2020 तक प्रस्तुत किया जायेगा। टिप्पणियों को ट्राई के वेबसाइट पर पोस्ट किया जायेगा।

टिप्पणियों/जवाबी टिप्पणियों को विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप में श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (वीएंडसीएस) ट्राई को advbcs-2@traigov.in या jadvisior-bcs@traigov.in पर भेजा जा सकता है। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, टेली.नं: +91-11-23237922, फैक्स: +91-11-23220442 या ऊपर ई-मेल आईडी पर सचिव, ट्राई से संपर्क किया जा सकता है। ■